न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 05/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

2. श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति सिंधी निवासी लाम्बापाडा लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री जी.एम. गंगावत – अधिवक्ता गैर सायल ।

–ः निर्णय ः–

दिनांकः– 08.10.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति सिंधी निवासी लाम्बापाडा लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा का रहने वाला है जो जुआ–सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरूद्ध थाना लालसोट में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है–

1. मु.न. 54/06 13 आरपीजीओ
2. मु.न. 171/0613 आरपीजीओ

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना लालसोट की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा दो बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना लालसोट में जुआ–सट्टा करता है. एवं अन्य व्यक्तियों को भी जुआ–सट्टा हेतु प्रेरित कर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

व सुरक्षा तथा क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति सिंधी निवासी लाम्बापाडा लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा के इलाके में रहने से जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित प्रकरणो का निर्णय हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण न तो दर्ज है न ही विचाराधीन है। प्रार्थी बहुत ही गरीब हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरण वर्ष 2006 के है। जिनका निर्णय हो चुका है। इसके पश्चात प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना व्यक्त किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति सिंधी निवासी लाम्बापाडा लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण ड्रोप किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक जिला दौसा को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official